Mains Matrix – Integrate Your Knowledge, Ace the Exam

विषय सूची

1.विदेशी कंपनियों ने भारत में ₹2 लाख करोड़ की परियोजनाएं रोकीं
2.केरल में उत्पाद शुल्क अधिकारियों और बार मालिकों की मिलीभगत उजागर
3.लाभ पाने के लिए आवश्यक पहचान पत्र केवल 40% से कम दिव्यांगजनों के पास
4.क्या आरक्षण की 50% की सीमा से अधिक होना चाहिए?
5.ऊर्जा संक्रमण अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है

विदेशी कंपनियों ने भारत में ₹2 लाख करोड़ की परियोजनाएं रोकीं

स्रोत	द हिंदू (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी - CMIE के आंकड़ों का विश्लेषण)
मुख्य आंकड़ा	वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में ₹1.97 लाख करोड़ की परियोजनाएं छोड़ी गईं।
साल-दर-साल वृद्धि	पिछले वित्तीय वर्ष (2024-25) की पहली तिमाही की तुलना में >1200% अधिक।
ऐतिहासिक संदर्भ	कम से कम 2010 के बाद से ड्रॉप की गई परियोजनाओं का सबसे अधिक मूल्य। दीर्घकालिक तिमाही औसत से 570% अधिक।
प्राथमिक कारण	**टैरिफ (आयात शुल्क) से जुड़ी अनिश्चितता**, विशेष रूप से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक लंबित 'मिनी ट्रेड डील' को लेकर।
विशेषज्ञ की राय	डी.के. श्रीवास्तव (मुख्य नीति सलाहकार, EY India) ने मुख्य कारण टैरिफ की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति की कंपनियों को घरेलू निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की इच्छा का भी हवाला दिया।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

नई परियोजनाओं पर प्रभाव	- **नई परियोजनाओं की घोषणा:** ₹22,490 करोड़ (चुनाव-प्रभावित पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में 50% अधिक, लेकिन फिर भी दीर्घकालिक औसत से 56% कम)। - **छोड़ी गई/नई परियोजना अनुपात:** 8.8 के उच्च स्तर पर पहुंच गया (2010 के बाद से सबसे अधिक), जो निवेशकों के बेहद निराशावादी मूड को दर्शाता है।
छोड़ी गई परियोजनाओं का वर्गीकरण	अधिकांश "जानकारी के अभाव" श्रेणी में हैं, लेकिन अर्थशास्त्री इस प्रवृत्ति का कारण टैरिफ अनिश्चितता को मानते हैं।
भविष्य की संभावना	विशेषज्ञ को विश्वास है कि एक बार टैरिफ को लेकर स्पष्टता आने के बाद इन निवेशों का एक बड़ा हिस्सा वापस आ जाएगा।

यूपीएससी परिप्रेक्ष्य से मुख्य बिंदु

यह समाचार लेख यूपीएससी पाठ्यक्रम के कई क्षेत्रों, विशेष रूप से **अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शासन** को छूता है।

1. आर्थिक निहितार्थ (जीएस पेपर III - अर्थव्यवस्था):

- **निवेश जलवायु:** यह रिपोर्ट भारत में **निवेश जलवायु और निवेशक भावना** का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। ड्रॉप की गई परियोजनाओं का उच्च मूल्य और नई घोषणाओं का कम अनुपात अनिश्चितता का संकेत देता है, जो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** यह एफडीई की अस्थिर प्रकृति और इसकी **बाहरी नीतिगत झटकों** और **भू-राजनीतिक तनावों** के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करता है। एफडीई के स्थिर उच्च स्तर को प्राप्त करने की चुनौतियों को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है।
- **मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता:** बड़े पैमाने पर परियोजना रद्द होने से विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और सेवा जैसे क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, जिसका अंततः **जीडीपी विकास, औद्योगिक उत्पादन और चालू खाता घाटे** पर प्रभाव पड़ता है।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (जीएस पेपर II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध):

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **भारत-अमेरिका व्यापार संबंध:** मूल मुद्दा भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे द्विपक्षीय संबंध सीधे आर्थिक परिणामों को प्रभावित करते हैं। व्यापार सौदों, **पारस्परिक टैरिफ** और **संरक्षणवादी नीतियों** ("अमेरिका फर्स्ट") की बारीकियों को समझना आवश्यक है।
- **व्यापार नीति अनिश्चितता:** यह दर्शाता है कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नीतिगत अनिश्चितता का भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। **वैश्विक आर्थिक अंतर्निर्भरता** का यह एक उत्कृष्ट केस स्टडी है।

3. शासन और नीतिगत चुनौतियाँ (जीएस पेपर II और III):

- **नीतिगत पूर्वानुमेयता:** लेख दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए **स्थिर और पूर्वानुमेय आर्थिक नीति** के महत्व पर प्रकाश डालता है। अचानक परिवर्तन या लंबी अनिश्चितता हानिकारक हो सकती है।
- **डेटा और पारदर्शिता:** तथ्य यह है कि अधिकांश परियोजनाएं "जानकारी के अभाव" श्रेणी में छोड़ी गई हैं, निवेश में देरी और रद्द होने के मूल कारणों का सही निदान और समाधान करने के लिए बेहतर **पारदर्शिता और डेटा संग्रह** तंत्र की आवश्यकता की ओर इशारा करता है।
- **कारोबारी सुगमता:** हालाँकि यह घरेलू नौकरशाही के बारे में नहीं है, यह दर्शाता है कि बाहरी व्यापार बाधाएं भी उतनी ही बड़ी बाधा हो सकती हैं। यह "करंबारी सुगमता" की परिभाषा को **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा** तक बढ़ाता है।

भ्रष्टाचार (Corruption)

MENTOR IAS
YOUR SUCCESS OUR COMMITMENT

भ्रष्टाचार एक व्यापक शब्द है जो **निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति के दुरुपयोग** को संदर्भित करता है। यह एक सामान्य अवधारणा (umbrella concept) है जिसमें अवैध गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, जहां अधिकार के पद पर बैठा कोई व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए उस शक्ति का उपयोग करता है, जिससे उन पर रखे गए विश्वास का उल्लंघन होता है और उन प्रणालियों को कमजोर किया जाता है जिन्हें उन्हें बनाए रखना होता है।

भ्रष्टाचार की प्रमुख विशेषताएं:

- **शक्ति का दुरुपयोग:** यह मुख्य तत्व है। शक्ति सार्वजनिक (सरकारी अधिकारी) या निजी (क cooperate प्रबंधक) हो सकती है।
- **निजी लाभ:** लाभ स्वयं के लिए, अपने परिवार, दोस्तों या सहयोगियों के लिए हो सकता है। यह हमेशा मौद्रिक नहीं होता; यह पक्ष, विशेषाधिकार, या प्रभाव के रूप में हो सकता है।

- **विश्वास का उल्लंघन:** यह उस कर्तव्य या जिम्मेदारी का उल्लंघन करता है जिसके लिए व्यक्ति को अधिकार सौंपा गया था।

भ्रष्टाचार के रूप (रिश्वतखोरी के अलावा):

- **गबन (Embezzlement):** सार्वजनिक या कंपनी के धन की चोरी करना उस व्यक्ति द्वारा जो उनका प्रबंधन करता है।
- **भाई-भतीजावाद/पक्षपात (Nepotism/Favoritism):** योग्यता के आधार पर न होकर, रिश्तेदारों या दोस्तों को पक्ष, नौकरियां या ठेके देना।
- **तुष्टीकरण (Patronage):** राजनीतिक समर्थन के लिए व्यक्तियों को पुरस्कृत करने हेतु राज्य संसाधनों का उपयोग करना।
- **धोखाधड़ी (Fraud):** व्यक्तिगत लाभ के लिए जानकारी या प्रक्रियाओं में हेराफेरी करना।
- **जबरन वसूली (Extortion):** शक्ति या धमकियों का उपयोग करके किसी को पैसे या पक्ष देने के लिए मजबूर करना।

भ्रष्टाचार के प्रकार

1. मिलीभगत वाला भ्रष्टाचार (Collusive or Nexus Corruption)

- **परिभाषा:** यह तब होता है जब रिश्वत देने वाला (बार मालिक) और रिश्वत लेने वाला (एक्साइज अधिकारी) दोनों परस्पर लाभ के लिए एक भ्रष्ट लेनदेन में स्वेच्छा से संलग्न होते हैं। यह जबरदस्ती नहीं बल्कि अपराध में साझेदारी है।
- **इस मामले में:** बार मालिक रिश्वत देते हैं, और बदले में, अधिकारी जानबूझकर अवैध गतिविधियों को नजरअंदाज करते हैं। दोनों पक्षों को लाभ होता है: बार मालिक अवैध रूप से कार्य करके मुनाफा बढ़ाते हैं, जबकि अधिकारियों को अवैध आय का नियमित स्रोत मिलता है।

2. छोटा और बड़ा भ्रष्टाचार (Petty and Grand Corruption)

- **छोटा भ्रष्टाचार (Petty Corruption):** इसमें रोजमर्रा की सेवाएं सुरक्षित करने या मामूली जुर्माने से बचने के लिए छोटी रकम का भुगतान शामिल होता है। जब्त नकदी (₹28,464) दैनिक नजरअंदाजगी के लिए छोटे भ्रष्टाचार के मामलों का संकेत देती है।
- **बड़ा भ्रष्टाचार (Grand Corruption):** इसमें बड़ी नीतियों को प्रभावित करने या बड़े पैमाने के उल्लंघनों को नजरअंदाज करने के लिए महत्वपूर्ण रकम और उच्च-स्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं। ₹2 लाख से अधिक का डिजिटल निशान और राज्यव्यापी सांठगांठ का पैमाना **बड़े, व्यवस्थित भ्रष्टाचार** की ओर इशारा करता है।

Difference between Bribery and Corruption

MENTORA IAS
YOUR SUCCESS OUR COMMITMENT

पहलू (Feature)	रिश्वतखोरी (Bribery)	भ्रष्टाचार (Corruption)
परिभाषा (Definition)	किसी अधिकारी या सार्वजनिक कर्तव्य के प्रभारी व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करने के लिए मूल्यवान कुछ भी **प्रस्तावित करने, देने, लेने या मांगने** की **विशिष्ट क्रिया** है।	**निजी लाभ** के लिए सौंपी गई शक्ति (सार्वजनिक या निजी) का **दुरुपयोग** करने की **व्यापक अवधारणा** है। यह एक व्यापक शब्द (umbrella term) है।
प्रकृति (Nature)	एक **लेन-देन संबंधी क्रिया (Transactional act)**। इसके लिए कम से कम दो पक्षों की आवश्यकता होती है: एक जो रिश्वत देता है और एक जो उसे स्वीकार करता है।	यह **दोनों एक क्रिया और एक प्रणाली** हो सकती है। यह एक एकल कार्य या किसी संगठन या सरकार के भीतर एक गहराई से जड़ित संस्कृति हो सकती है।
दायरा (Scope)	**संकीर्ण और विशिष्ट।** यह भ्रष्ट व्यवहार का एक विशेष रूप है।	**बहुत व्यापक।** इसमें कई अलग-अलग अवैध और अनैतिक प्रथाएं शामिल हैं।
मुख्य तत्व (Key Element)	एक **बदले में कुछ (Quid pro quo)** का आदान-प्रदान।	**शक्ति या पद का दुरुपयोग।** लाभ हमेशा किसी बाहरी पक्ष से आना जरूरी नहीं है।
उदाहरण (Examples)	• टिकट से बचने के लिए एक पुलिस अधिकारी को भुगतान करना। • एक कंपनी द्वारा ठेका जीतने के लिए एक सरकारी अधिकारी को उपहार देना।	• **रिश्वतखोरी** (जैसा ऊपर परिभाषित)। • **गबन** (सार्वजनिक धन की चोरी)। • **भाई-भतीजावाद** (रिश्तेदारों को नौकरी देना)। • **धोखाधड़ी** (दस्तावेजों में हेराफेरी)। • **जबरन वसूली** (किसी को भुगतान के लिए मजबूर करना)।

लाभों के लिए आवश्यक आईडी 40% से कम दिव्यांग व्यक्तियों के पास है

मुख्य मुद्दा: यूडीआईडी आवेदनों के प्रसंस्करण में देरी कम कवरेज का एक प्राथमिक कारण है।

1. मुख्य आँकड़े: यूडीआईडी कार्ड कवरेज और बैकलॉग

- **राष्ट्रीय यूडीआईडी कवरेज:** भारत की अनुमानित दिव्यांगजन (PwD) आबादी का <40%।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **कुल लंबित आवेदन:** 11 लाख (1.1 मिलियन) से अधिक।
- **दीर्घकालिक बैकलॉग:** लंबित आवेदनों में से >60% छह महीने से अधिक समय से लंबित हैं।

2. यूडीआईडी कार्ड का उद्देश्य

- **योजना:** दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) के तहत एक उप-योजना।
- **प्राथमिक लक्ष्य:** दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना।
- **मुख्य लाभ:**
    - सरकारी योजनाओं तक पहुंच (जैसे, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र आदि के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता (ADIP) योजना)।
    - शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में छात्रवृत्ति और आरक्षण तक पहुंच।

3. राज्य-वार प्रदर्शन

- **कम कवरेज वाले राज्य:** केवल 23 राज्यों ने अपनी अनुमानित PwD आबादी के आधे से भी कम लोगों को कार्ड जारी किए हैं।
- **उच्च कवरेज वाले राज्य (>50%):** तमिलनाडु, मेघालय, ओडिशा, कर्नाटक।
- **सबसे कम कवरेज:** पश्चिम बंगाल (~6%)।
- **डेटा अलग से उपलब्ध नहीं:** आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
- **सबसे खराब प्रसंस्करण देरी (>80% लंबित >6 महीने):** हिमाचल प्रदेश (प्रमुख राज्यों में सर्वोच्च), लद्दाख, मिजोरम।

4. कम कवरेज और देरी के कारण

- **क्रमिक कार्यान्वयन:** पुराने राज्य-स्तरीय दिव्यांगता प्रमाणपत्रों से नई राष्ट्रीय यूडीआईडी प्रणाली में संक्रमण की खराब संचार प्रक्रिया।
- **डिजिटल साक्षरता बाधा:**
    - आवेदन केवल एक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं।
    - आवेदकों को स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं।
    - भारत की केवल 60% आबादी (15+ वर्ष) डिवाइस पर कॉपी/पेस्ट टूल का उपयोग कर सकती है।
    - महिलाओं में डिजिटल साक्षरता कम है (PwDs के लिए विशेष आंकड़ा उपलब्ध नहीं)।
- **घटा हुआ फंडिंग:** PwD योजनाओं के लिए समग्र फंड में वृद्धि के बावजूद, महत्वपूर्ण यूडीआईडी उप-योजना के लिए धन कम कर दिया गया है।

5. अंतर्निहित राजनीतिक संदर्भ

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **उपेक्षा का कारण:** PwDs को एक छोटे राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र (~2.68 करोड़ जनगणना के अनुसार) के रूप में देखा जाता है।
- **प्रभाव:** उन्हें चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त मजबूत पहचान समूह नहीं माना जाता है ("वोटों में अंतर करना"), जिससे राजनीतिक प्राथमिकता की कमी होती है।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

जीएस पेपर 1: समाज (सामाजिक सशक्तिकरण, कमजोर वर्ग)

1. **सामाजिक सशक्तिकरण:**
    - **संरचनात्मक बाधाएँ:** यूडीआईडी का मामला दर्शाता है कि अधिकारों का दावा करने के लिए सुलभ मार्गों के बिना कानून (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) पर्याप्त नहीं हैं, जो नौकरशाही में देरी और जटिल प्रक्रियाओं से बाधित हैं।
2. **क्षेत्रीय असमानताएँ:**
    - कवरेज और लंबित मामलों में राज्य-वार अंतर क्षेत्रीय विकास, प्रशासनिक क्षमता और सामाजिक कल्याण को दिए गए राजनीतिक प्राथमिकता में अंतर्निहित अंतर को दर्शाता है।

जीएस पेपर 2: शासन, कल्याणकारी योजनाएं और सामाजिक न्याय

1. **शासन और कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
    - **नीति-कार्यान्वयन अंतर:** एक सुदृढ़ नीति (राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए यूडीआईडी) गंभीर कार्यान्वयन कमियों (कम <40% कवरेज, उच्च >60% 6 महीने से अधिक लंबित मामले) से कमजोर हो गई है।
    - **सहकारी संघवाद और असमानताएँ:** राज्यों के बीच स्पष्ट अंतर (जैसे, कर्नाटक/तमिलनाडु >50% बनाम पश्चिम बंगाल ~6%) असमान प्रशासनिक क्षमता और अंतिम छोर तक सेवा पहुंच (last-mile delivery) की चुनौतियों को उजागर करता है।
    - **खंडित योजना: मौलिक** यूडीआईडी योजना, जो अन्य लाभों का gateway है, के लिए धनराशि कम होना अंतर-विभागीय समन्वय और समग्र नीति डिजाइन की कमी को दर्शाता है।
2. **डिजिटल शासन (डिजिटल इंडिया):**
    - **डिजिटल विभाजन:** अनिवार्य ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कम डिजिटल साक्षरता (15+ आयु वर्ग के केवल 60% लोग कॉपी-पेस्ट कर सकते हैं) और बुनियादी ढाँचे (उपकरणों, इंटरनेट) की कमी के कारण नागरिकों को बाहर कर देती है।
    - **दुर्गम डिजाइन:** यह प्रक्रिया डिजाइन द्वारा समावेशी नहीं है, जो दिव्यांग व्यक्तियों और कम साक्षरता वालों के लिए पर्याप्त ऑफलाइन चैनल (CSC केंद्र, सहायता डेस्क) प्रदान करने में विफल रहती है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

3. **सामाजिक न्याय:**
    - **बहिष्कार:** यूडीआईडी जारी करने में देरी दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) को अधिकारों, छात्रवृत्तियों, नौकरियों और सहायक उपकरणों तक पहुंच से वंचित करती है, जिससे उनका सामाजिक-आर्थिक हाशियाकरण बना रहता है।
    - **राजनीतिक इच्छाशक्ति:** दिव्यांगजनों को एक छोटे "राजनीतीय निर्वाचन क्षेत्र" के रूप में देखा जाना नीतिगत उपेक्षा का कारण बनता है, जो stronger राजनीतिक प्रतिनिधित्व और वकालत की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

क्या आरक्षण 50% की सीमा से अधिक होना चाहिए?

मुख्य मुद्दा:

यह बहस कि क्या आरक्षण 50% की सीमा से अधिक होना चाहिए, औपचारिक और वास्तविक समानता के बीच के तनाव की जांच करती है, और कुछ उप-जातियों के भीतर लाभों के संकेंद्रण की समस्या को संबोधित करती है।

संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 15:** भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs/OBCs), SCs और STs की उन्नति के लिए राज्य को विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 16:** सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की गारंटी देता है और इन्हीं वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है।
- **वर्तमान कुल आरक्षण:** केंद्र स्तर पर 59.5% (27% OBC + 15% SC + 7.5% ST + 10% EWS)। राज्यों में प्रतिशत भिन्न होता है।

न्यायिक व्याख्याएं और 50% का नियम:

- **औपचारिक समानता दृष्टिकोण (अपवाद):**
    - **एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1962):** "उचित सीमा" सिद्धांत पेश किया और सुझाव दिया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। आरक्षण को अवसर की समानता के एक अपवाद के रूप में देखता है।
- **वास्तविक समानता दृष्टिकोण (सुविधाकरण):**
    - **केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस (1975):** 7-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि आरक्षण कोई अपवाद नहीं बल्कि अवसर की समानता (वास्तविक समानता) को सुगम बनाने का एक साधन है। हालांकि, इसने 50% की सीमा पर कोई फैसला नहीं दिया।
- **चेतावनियों के साथ पुष्टि:**
    - **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992):** यह Landmark 9-न्यायाधीशों का मामला था।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

        - OBCs के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा।
        - "असाधारण परिस्थितियों" (जैसे, अत्यधिक पिछड़ेपन वाले दूरदराज के इलाके) को छोड़कर 50% की सीमा की फिर से पुष्टि की।
        - OBCs के लिए "क्रीमी लेयर" बहिष्करण की अवधारणा पेश की।
- **हालिया विकास (EWS):**
    - **जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022):** 10% EWS कोटा को बरकरार रखा।
        - फैसला सुनाया कि 50% की सीमा केवल पिछड़े वर्गों (OBC/SC/ST) पर लागू होती है, EWS कोटा पर नहीं, जो सामान्य श्रेणी से एक अलग (आर्थिक रूप से कमजोर) वर्ग के लिए है।

बहस में प्रमुख तर्क:

- **50% से अधिक के पक्ष में (वास्तविक समानता):**
    - पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात को सही ढंग से दर्शाने के लिए।
    - अनुमानों से नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के वास्तविक आंकड़ों की आवश्यकता है।
- **50% से अधिक के विरोध में / अन्य चिंताएं:**
    - **लाभों का संकेंद्रण:** रोहिणी आयोग ने पाया कि OBC के 97% लाभों का उपयोग केवल 25% OBC जातियों द्वारा किया जाता है; लगभग 1000 OBC समुदायों का प्रतिनिधित्व शून्य है।
    - **रिक्त पद:** केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षित सीटों की एक महत्वपूर्ण संख्या रिक्त रहती है।
    - **SCs/STs के लिए क्रीमी लेयर:** एक जटिल मुद्दा।
        - **बहिष्करण के पक्ष में (पंजाब बनाम दविंदर सिंह, 2024):** SCs/STs के भीतर सबसे हाशिए के लोगों को प्राथमिकता देने के लिए एक "दो-स्तरीय" प्रणाली का सुझाव देता है।
        - **बहिष्करण के विरोध में:** तर्क देता है कि पद पहले से ही रिक्त हैं, और क्रीमी लेयर लागू करने से नियुक्तियां और कम हो सकती हैं और इससे पदों को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकता है।

आगे का रास्ता:

- आगामी **2027 की जनगणना** (जो OBCs की गणना करेगी) के अनुभवजन्य आंकड़ों का उपयोग सूचित निर्णय लेने के लिए करें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ सबसे पिछड़े लोगों तक पहुंचे, OBCs के भीतर **उप-वर्गीकरण** लागू करें (रोहिणी आयोग के अनुसार)।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- SCs/STs के भीतर सबसे हाशिए के लोगों को प्राथमिकता देने के लिए एक **"दो-स्तरीय" प्रणाली** पर विचार करें।
- आरक्षण से परे देखें: **कौशल विकास**, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और निजी क्षेत्र में **रोजगार बाजार का विस्तार** करने पर ध्यान दें

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य अवधारणाएं (Key Takeaways for UPSC Mains)

जीएस पेपर 1: भारतीय समाज

1. **(पाठ्यक्रम: भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता)**
    - **कैसे उपयोग करें:** जाति को भारतीय समाज की एक प्रमुख और स्थायी विशेषता के रूप में चर्चा करें। आरक्षण जाति व्यवस्था में निहित ऐतिहासिक और सामाजिक असमानताओं के प्रति राज्य की एक सीधी प्रतिक्रिया है।
2. **(पाठ्यक्रम: महिलाओं और महिलाओं के संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उपाय)**
    - **कैसे उपयोग करें:** बहस को **अंतर्विच्छेदी हाशियाकरण (Intersectional Marginalization)** (उदाहरण के लिए, एक गरीब, दिव्यांग महिला जो सबसे पिछड़ी OBC जाति से है, बहुस्तरीय हानि का सामना करती है) से जोड़ें। तर्क दें कि एक समान-सभी-के-लिए उपयुक्त आरक्षण नीति इन जटिल, अतिव्यापी पहचानों का समाधान नहीं कर सकती।
3. **(पाठ्यक्रम: सामाजिक सशक्तिकरण)**
    - **कैसे उपयोग करें:** यह एकदम सही Fit है। विश्लेषण करें कि क्या आरक्षण ने वास्तव में सबसे हाशिए के लोगों के सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है या केवल एक "क्रीमी लेयर" (विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग) ही created किया है। **लाभों के संकेंद्रण की समस्या** का उपयोग यह तर्क देने के लिए करें कि सशक्तिकरण **व्यापक-आधारित** और सभी उप-जातियों को शामिल करने वाला होना चाहिए।

MENTOR IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

जीएस पेपर 2: शासन, संविधान, सामाजिक न्याय

1. **(पाठ्यक्रम: भारतीय संविधान—ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान)**
    - **कैसे उपयोग करें: अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4), और 16(4A)** की संविधान के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के उदाहरणों के रूप में चर्चा करें। समझाएं कि ये राज्य को एक नकारात्मक अधिकार (गैर-भेदभाव) से एक सकारात्मक कर्तव्य (सकारात्मक कार्रवाई / Affirmative Action) की ओर बढ़ने में कैसे सक्षम बनाते हैं।
2. **(पाठ्यक्रम: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं)**

- **कैसे उपयोग करें:** आरक्षण का विश्लेषण केवल एक नीति के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण के लिए अंतिम "कल्याणकारी योजना" के रूप में करें।
- **इसकी प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन: रोहिणी आयोग के डेटा (97% लाभ 25% जातियों को)** का उपयोग यह तर्क देने के लिए करें कि यह योजना गंभीर कार्यान्वयन दोषों और Elite Capture (कुछ विशेषज्ञों द्वारा लाभ हड़पने) से ग्रस्त है, जिससे यह सबसे पिछड़े लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है।
- **समाधानों पर चर्चा:** सच्चे सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए OBCs के भीतर **उप-वर्गीकरण** और SCs/STs के लिए एक **दो-स्तरीय प्रणाली** को आवश्यक प्रशासनिक सुधारों के रूप में प्रस्तावित करें।

3. **(पाठ्यक्रम: विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण—न्यायपालिका बनाम विधायिका)**
   - **कैसे उपयोग करें: 50% की सीमा एक न्यायिक निर्माण (इंदिरा साहनी मामला)** है, जिसका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। संसद ने **103वें संवैधानिक संशोधन (EWS कोटा)** के माध्यम से, प्रभावी ढंग से इस सीमा को चुनौती दी। इसका उपयोग न्यायपालिका (कानून की व्याख्या) और विधायिका (नीति बनाना) के बीच गतिशील अंतर्प्रक्रिया और तनाव पर चर्चा करने के लिए करें।
4. **(पाठ्यक्रम: इन कमजोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थान और निकाय)**
   - **कैसे उपयोग करें: रोहिणी आयोग** (OBC उप-वर्गीकरण के लिए) और **सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC)** के आसपास की बहस का उल्लेख डेटा-संचालित नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र के रूप में करें।

जीएस पेपर 4: नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति (Ethics, Integrity and Aptitude)

1. **(पाठ्यक्रम: नैतिकता और मानवीय इंटरफेस: सार, निर्धारक और मानवीय क actionsो ं में नैतिकता के परिणाम)**
   - **कैसे उपयोग करें:** आरक्षण की **नैतिक नींव** पर चर्चा करें:
   - **औपचारिक समानता (प्रक्रियात्मक न्याय):** सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, ऐतिहासिक नुकसानों से अनजान। (नैतिक सिद्धांत: निष्पक्षता / Impartiality)
   - **वास्तविक समानता (वितरणात्मक न्याय):** निष्पक्ष परिणाम सुनिश्चित करना, भले ही इसके लिए अलग-अलग व्यवहार की आवश्यकता हो। (नैतिक सिद्धांत: इक्विटी / Equity, निष्पक्षता / Fairness, करुणा / Compassion)
2. **(पाठ्यक्रम: सिविल सेवा के लिए अभिवृत्ति और मौलिक मूल्य)**

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **कैसे उपयोग करें:** एक भविष्य के सिविल सेवक के रूप में, आपको इस नीति को Navigate करना होगा। **वस्तुनिष्ठता** (SECC के अनुभवजन्य डेटा का उपयोग), **सहानुभूति** (सबसे पिछड़े लोगों की दुर्दशा को समझना), और **प्रभावशीलता** (यह सुनिश्चित करना कि उप-वर्गीकरण जैसी नीतियों को अच्छी तरह से लागू किया जाए ताकि वास्तव में उनका लक्ष्य प्राप्त हो) के महत्व पर चर्चा करें।

'ऊर्जा संक्रमण अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है'

मुख्य थीसिस: रूसी तेल के भारत के आयात पर भू-राजनीतिक दबाव ने इस बात को उजागर किया है कि ऊर्जा नीति एक राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का विषय है। यह आयातित तेल की तुलना में देश के भविष्य के लिए घरेलू स्रोत वाली ऊर्जा, विशेष रूप से बिजली क्षेत्र में, एक अधिक आकर्षक और रणनीतिक आधार बनाता है।

1. भारत की ऊर्जा निर्भरता प्रोफाइल:

- **तेल:**
  - **उच्च आयात निर्भरता:** अपनी कच्चे तेल की आपूर्ति का लगभग 90% आयात पर निर्भर है।
  - **परिणाम:** अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार झटकों और भू-राजनीतिक उलझनों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
- **बिजली:**
  - **उच्च आत्मनिर्भरता:** लगभग 70% बिजली कोयले से आती है, जिसमें से लगभग 50% स्थानीय रूप से खनन किया जाता है।
  - **बढ़ती घरेलू क्षमता:** शेष का अधिकांश हिस्सा घरेलू स्वच्छ बिजली उत्पादन में तेजी से आ रहा है।
  - **परिणाम:** बिजली क्षेत्र बाहरी आपूर्ति झटकों से बेहतर ढंग से सुरक्षित है और राष्ट्रीय नीति के माध्यम से प्रबंधित करना आसान है।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

2. रूसी तेल की दुविधा:

- **छूट से फूला हुआ विकास:** भारत का तेल उपभोग 4.4% प्रति वर्ष (2021-2024) की दर से बढ़ा, जो शीर्ष उपभोक्ताओं में सबसे तेज है।
- **विकास का कारण:** यह तेजी से विकास यूक्रेन युद्ध के बाद भारी मात्रा में रियायती रूसी तेल के आयात से "कृत्रिम रूप से फूला" हुआ था।
- **भू-राजनीतिक लागत:** इस प्रथा के कारण अंतरराष्ट्रीय आलोचना और "सार्वजनिक कोड़ेबाजी" हुई है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. बिजली और ऊर्जा संक्रमण की ओर रणनीतिक बदलाव:

- **एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में बिजली:** रिफाइनिंग उद्योग की तुलना में, बिजली क्षेत्र है:
    - भू-राजनीतिक मुद्दों से अधिक सुरक्षित।
    - नीति के साथ प्रभावित करने में आसान।
    - कर राजस्व और नौकरियों का एक अधिक विश्वसनीय दीर्घकालिक जनरेटर।
- **सरकारी नीति:** भारतीय अधिकारी पहले से ही परिवहन, उपकरणों और उद्योग के तीव्र विद्युतीकरण का समर्थन कर रहे हैं।
- **परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक:** भू-राजनीतिक तनाव ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बन रहे हैं, जो ऊर्जा स्वतंत्रता को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बना रहे हैं।

निष्कर्ष:

हालांकि भारत का विशाल वाहन बेड़ा (50 लाख कारें, 300 मिलियन दोपहिया वाहन) तेल की मांग में तेजी से कमी को रोकता है, लेकिन इसकी भविष्य की राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति संभवतः आयात-निर्भर तेल से दूर और घरेलू कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित एक आत्मनिर्भर बिजली प्रणाली की ओर रुख करेगी।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य अवधारणाएं (Key Takeaways for UPSC Mains)

जीएस पेपर II (शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

- **अंतर्राष्ट्रीय संबंध:**
    - **भारत और उसके पड़ोसी:** इसे मध्य पूर्व (जैसे, UAE, सऊदी अरब के साथ संबंध) जैसे तेल समृद्ध क्षेत्रों के साथ भारत के जुड़ाव और दक्षिणपूर्व एशिया के साथ ऊर्जा साझेदारी के लिए "एक्ट ईस्ट" नीति से जोड़ा जा सकता है।
    - **विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव:** यह लेख इसका एक आदर्श उदाहरण है। विकसित देशों (रूस पर अमेरिका और EU की पाबंदियाँ) की नीतियों ने सीधे एक विकासशील देश (भारत) के लिए एक अवसर (सस्ता तेल) और एक चुनौती (कूटनीतिक दबाव) पैदा किया।

जीएस पेपर III (अर्थव्यवस्था और सुरक्षा)

- **भारतीय अर्थव्यवस्था:**
    - **अवसंरचना: ऊर्जा बंदरगाह, परिवहन:** भारत के ऊर्जा ढांचे के आयात पर अत्यधिक निर्भर होने और स्रोतों में विविधता लाने की आवश्यकता की चुनौतियों पर चर्चा करें।
    - **निवेश मॉडल:** आयात निर्भरता कम करने के लिए घरेलू ऊर्जा स्रोतों (नवीकरणीय ऊर्जा, कोयला खनन) में सार्वजनिक और निजी निवेश के तर्क के लिए लेख का उपयोग करें।
- **सुरक्षा:**

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- **आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ:** ऊर्जा सुरक्षा एक गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौती है। किसी एक स्रोत (जैसे रूस) पर निर्भरता भू-राजनीतिक दबाव और आपूर्ति में व्यवधान के प्रति संवेदनशीलता पैदा करती है।
- **बाहरी राज्य और गैर-राज्य अभिनेताओं की भूमिका:** लेख दर्शाता है कि कैसे बाहरी राज्यों (रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध) की कार्रवाइयाँ भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति के विकल्पों को सीधे प्रभावित करती हैं।

MENTORA IAS
"YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"